



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपायुक्त जोन-1/2022/डी- 18 26

दिनांक:- 22/6/22

विज्ञप्ति

जविप्रा, जयपुर की मालवीय नगर आवासीय योजना के भूखण्ड संख्या-डी-134 श्री प्रदीप नाथ भार्गव को आलुटन जारी किया गया था। श्री प्रदीप नाथ भार्गव की मृत्यु दिनांक 04.08.1995 के पश्चात् उनके वारिसों द्वारा शपथ-पत्र, सजरा, एवं राशन कार्ड के आधार पर (1.) श्रीमती सविता भार्गव पत्नि स्वः श्री प्रदीप नाथ भार्गव एवं पुत्र (1) श्री अभिनीत भार्गव पुत्र स्वः श्री प्रदीप नाथ भार्गव के नाम से उक्त दस्तावेजों के आधार पर नामहस्तांतरण पत्र दिनांक 14.05.2020 को किया गया था, अब श्रीमती सविता भार्गव की मृत्यु दिनांक 25.05.2021 को हो गई थी। उनके वारिस श्री अभिनीत भार्गव पुत्र स्वः श्री प्रदीप नाथ भार्गव द्वारा उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर नामहस्तान्तरण करवाने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया है।

उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण जारी करने के संबंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/ फर्म व अन्य को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस की अवधि में अधोहस्ताक्षरकर्ता को कार्यालय के कमरा नं. पीबी-एसएफ-202, पार्किंग स्थल, द्वितीय तल, जविप्रा, जयपुर में उपस्थित होकर आपत्ति दर्ज करावें, अन्यथा निर्धारित अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर नियमानुसार नामहस्तान्तरण जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

20

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- ✓ 1. जनसंपर्क अधिकारी जविप्रा को भेजकर लेख है कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार विज्ञप्ति सार्वजनिक जारी करवाना सुनिश्चित करे।

713
22/6/22

1
22/6/22

उपायुक्त जोन-1
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-09/2022/डी- 3652

दिनांक:- 23.6.22

सार्वजनिक सूचना

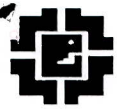
निम्नांकित आवेदको द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड किया गया हैं। इस सम्बंध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चा आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र.स	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	182	210.00	महल विस्तार	श्री भौरीलाल मीना एवं श्री जगदीश मीना पुत्रान् स्व. श्री पूराराम	श्री पुरा पुत्र श्री भुवाना	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हकत्याग पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर
2	183	37.08	महल विस्तार	श्री भौरीलाल मीना एवं श्री जगदीश मीना पुत्रान् स्व. श्री पूराराम	श्री पुरा पुत्र श्री भुवाना	रजिस्टर्ड विक्रय पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, हकत्याग पत्र एवं शपथ पत्र के आधार पर

उपायुक्त जोन-9,
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का करावें।

उपायुक्त जोन-9,
जविप्रा, जयपुर।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2022/डी- 5654

दिनांक- 22/6/22

सार्वजनिक सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण में भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है। इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञप्ति प्रकाशन की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में आपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दे, अन्यथा समय सीमा पश्चात आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भू.सं.	क्षेत्रफल	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	ए-45	272.22 व.ग.	आनन्द विहार	श्री रमेश दुलानी पुत्र श्री नोतन होतचंद दुलानी	श्री एन.एच. दुलानी पुत्र श्री होतचंद दुलानी	मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर

उक्त भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण जारी करने में किसी भी व्यक्ति/हितधारी/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-9 कार्यालय में दर्ज करवाये, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपी-

- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-9
जविप्रा, जयपुर

PROK-715
23/6/22

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-सम्बंधित कार्यालय) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एक्सटेंशन: (सम्बंधित कार्यालय): फैक्स- +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101908 / 3660

DATED- 22-6-2022

लोक सूचना

खातेदार आवेदक श्री कमल गोयल पुत्र राम अवतार गोयल हिस्सा 1/2 जाति महाजन एवं श्रीमती रमा गोयल पत्नी श्री रामदयाल गोयल हिस्सा 1/2 निवासी प्लॉट नम्बर 39, 40, जय जवान कॉलोनी द्वितीय, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर द्वारा इस कार्यालय में नीचे उल्लेखित भूमि का आवासीय उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारों के निर्वापन के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है।

अर्थात:-

जिले सहित ग्राम, तहसील का नाम	खातेदार का नाम एवं पता	खसरा संख्या	क्षेत्रफल हैक्टेयर
ग्राम-मुरलीपुरा तहसील-सांगानेर जिला-जयपुर	श्री कमल गोयल पुत्र राम अवतार गोयल हिस्सा 1/2 जाति महाजन एवं श्रीमती रमा गोयल पत्नी श्री रामदयाल गोयल हिस्सा 1/2 निवासी प्लॉट नम्बर 39, 40, जय जवान कॉलोनी द्वितीय, दुर्गापुरा, टोंक रोड, जयपुर	507 / 358	0.2800
कुल		कुल किता 1	कुल रकबा 0.2800 वर्ग मीटर

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिये भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियत समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है। और तदनुसार मामले का निपटारा किया जायेगा।

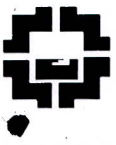
यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22-6-22 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
जयपुर

प्रतिलिपी-जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को आम सूचना का प्रकाशन कराये जाने हेतु प्रेषित है।

PR/8-716
23/6/22

प्राधिकृत अधिकारी जोन-9
उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर
जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा./जोन-6/22/डी-1885

दिनांक :- 23/6/22

विज्ञापित/सूचना

निम्नांकित आवेदकों द्वारा दस्तावेजात् प्रस्तुत कर जयपुर विकास प्राधिकरण भूखण्ड के नाम हस्तान्तरण/लीजडीड हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/हितधारी की कोई आपत्ति हो तो, विज्ञापित प्रकाशित की दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष जोन कार्यालय में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर दें, अन्यथा समय सीमा पश्चात् आवेदक के पक्ष में नाम हस्तान्तरण/लीजडीड जारी की कार्यवाही सम्पादित कर दी जावेगी। सूचित रहे।

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	भू.सं.-172	बालाजी विहार विस्तार-25 (गणपति गृ.नि.स.स.)	श्री रवि खींची पुत्र श्री हनुमान सिंह खींची	श्री प्रभुदयाल सैनी पुत्र श्री सुजाराम सैनी	भूखण्ड का हस्तान्तरण एक से अधिक बार होने के कारण
2.	भू.सं.-42	शंकर विहार (गणपति गृ.नि.स.स.)	श्री सुभाष चन्द कुंडी पुत्र श्री जीताराम मुख्यारनाम चांद बरवाडा पत्नी श्री सुभाष चन्द कुंडी	सत्यनारायण सैनी पुत्र श्री कन्हैया लाल सैनी	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
3.	भू.सं.-1बी	यादव नगर (शंकर भवन गृ.नि.स.स.)	श्रीमति तारामती पत्नी श्री रामानन्द यादव	श्रीमति तारामती पत्नी श्री रामानन्द यादव	नाम में भिन्नता के सम्बन्ध में।
4.	भू.सं.-1ए	यादव नगर (शंकर भवन गृ.नि.स.स.)	श्रीमति रामकला यादव पत्नी श्री रोशन लाल यादव	श्रीमति रामकला यादव पत्नी श्री रोशन लाल यादव	नाम में भिन्नता के सम्बन्ध में।
5.	भू.सं.-बी-1	उषा कॉलोनी (शंकर भवन गृ.नि.स.स.)	श्री राजेश शर्मा पुत्र श्री रमेश चन्द शर्मा	श्री राजेश माटोलिया पुत्र श्री केशर देव शर्मा	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
6.	भू.सं.-2ए	प्रेम नगर (श्री छत्रपति गृ.नि.स.स.)	श्री सीताराम गर्ग, शकुन्तला देवी व सचिन गर्ग पुत्रान् श्री श्यामलाल गर्ग, सीताराम गर्ग	श्री बुद्ध सिंह नाथावत पुत्र श्री भूरसिंह	अनुमोदित योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 2ए सृजित होने के सम्बन्ध में।
7.	भू.सं.-1	प्रेम नगर (श्री छत्रपति गृ.नि.स.स.)	श्री विमल कंवर पुत्र श्री राजा नरेन्द्र सिंह मगरा	श्री हरीश खण्डेलवाल पुत्र श्री शिवसहाय	अनुमोदित योजना मानचित्र में भूखण्ड संख्या 1 सृजित होने के सम्बन्ध में।
8.	भू.सं.-ए-10	गौतम कॉलोनी (निजी खातेदार)	श्री मनोज कुमार शर्मा श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	श्रीमति भगवती देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द्र	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
9.	भू.सं.-ए-11	गौतम कॉलोनी (निजी खातेदार)	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा श्री कैलाश चन्द्र शर्मा	श्रीमति भगवती देवी पत्नी श्री कैलाश चन्द्र	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
10.	भू.सं.-ए-12	गौतम कॉलोनी (निजी खातेदार)	श्री महेश कुमार शर्मा श्री लादूराम शर्मा	श्री चौथमल पुत्र किशना	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
11.	भू.सं.-ए-13	गौतम कॉलोनी (निजी खातेदार)	श्री महेश कुमार पारीक श्री भंवरलाल पारीक	श्री चौथमल पुत्र किशना	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
12.	भू.सं.-ए-13ए	गौतम कॉलोनी (निजी खातेदार)	श्रीमति अनुरानी पत्नी श्री महेश कुमार पारीक	श्री चौथमल पुत्र किशना	अपंजीकृत दस्तावेजात् के सम्बन्ध में।
13.	भू.सं.-145	श्री शिवा नगर स्कीम-04 (भैरव गृ.नि.स.स.)	श्रीमति कमला देवी पत्नी श्री शैतान	श्री शैतान सिंह डागर पुत्र श्री नन्दलाल डागर	मूल दस्तावेजात् गुम होने के सम्बन्ध में।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-6
जविप्रा, जयपुर।

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष-(+91-141-2570256.) : ईपीबीएक्स-0141-7118...एक्सटेंशन:(7118):

ई-मेल : {rajasthan.gov.in}



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ(ग्राम कलवाडा आई.डी. 296 राजदरबार) जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1718 दिनांक 23/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण की सेज पुनर्वास योजनाओं के आवेदकों द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

ऑनलाईन पंजीयन क्रमांक	आरक्षण पत्र का विवरण	भूखण्ड का विवरण	आवेदक	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
101022	ग्राम कलवाडा में अवाप्ता भूमि खसरा नम्बर 1316 से 1321 क्षेत्रफल 1633 वर्गमीटर के बदले देय आवासीय 327 वर्गमीटर व व्यावसायिक 81 वर्गमीटर कुल 408 वर्गमीटर का आरक्षण पत्र क्रमांक 887 दिनांक 23.3.2007 के द्वारा श्रीमती धन्नी पत्नी श्री गुल्ला माली को जारी किया गया था।	ग्राम टीलावास के व्यावसायिक भूखण्ड संख्या एस-248 क्षेत्रफल 72 वर्गमीटर	श्रीमती पूजा चौहान पत्नी श्री बहादुर सिंह राठौड़	मूल आरक्षण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण

उपायुक्त जोन-11
जयपुर
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि: जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11
जयपुर
ज.वि.प्रा., जयपुर

23/6/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ() जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी-1719

दिनांक 22/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाइट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	निजी खातेदारी योजना का नाम	आवेदक का नाम	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
श्री विष्णु दत्त व्यास पुत्र श्री शम्भूलाल	एल-13	मंगलम पार्क व्यू	श्री सुनील कुमार पुत्र श्री विष्णु दत्त व्यास	मृत्यु प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण व आवंटन पत्र जारी करने के कारण


उपायुक्त जोन-11
जयपुर, जयपुर
ज.वि.प्रा., जयपुर

प्रतिलिपि:— जम सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


उपायुक्त जोन-11
जयपुर, जयपुर
उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PR/R-719
23/6/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ()जविप्रा/उपा/जोन-11/2022/डी -1702

दिनांक 22/6/22

विज्ञप्ति/सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के आवेदक द्वारा अपनी सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के लिए आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर की वेबसाईट/नागरिक सेवा केन्द्र/एकल खिडकी/नोटिस बोर्ड पर देखी जा सकती है। इस संबंध में अपना आपत्ति/सुझाव यदि हो तो 07 दिवस में वह मय दस्तावेज प्रस्तुत करें।

भूखण्डधारी का नाम	भूखण्ड संख्या	निजी खातेदारी योजना का नाम	आवेदक का नाम	आपत्तियां प्राप्त करने का कारण
मैसर्स ओमेक्स लि. जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री मनीष चौबे पुत्र श्री आर.के. चौबे	161&4A	शुभांगन (पीजीएफ लि.)	श्री अनुपम सोमानी पुत्र स्व. श्री रतन लाल सोमानी	श्री रतन लाल सोमानी पुत्र स्व. मदनलाल सोमानी द्वारा कय किये जाने पर रजिस्टर्ड विक्रय पत्र व श्री रतन लाल सोमानी के मृत्यु प्रमाण पत्र व रजिस्टर्ड हक त्याग पत्र के आधार पर नाम हस्तांतरण


उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।


उपायुक्त जोन-11
जविप्रा, जयपुर।

उपायुक्त जोन-11
ज.वि.प्रा., जयपुर

PRD/R-720
23/6/22



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

आजादी का
अमृत महोत्सव

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2022/डी- 4450

दिनांक:-23-6-2022

सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	खसरा नम्बर	रकबा	नाम/पता	ग्राम का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीज डीड/फ्री होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	534	2.30 हेक्टेयर	भंवर लाल पुत्र श्री कानाराम जरिये मुख्त्यारआम श्री बलवीर सिंह तोमर पुत्र (स्व.) श्री होतम सिंह तोमर प्लॉट नम्बर 4, गोविन्द मार्ग आदर्श नगर, जयपुर	ग्राम जुगलपुरा, तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित खसरा नम्बर 534 की 90-ए संस्थानिक प्रयोजनार्थ पट्टा जारी करने के संबंध में	निजी खातेदारी (एकल पट्टा)	लीजडीड

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड (राजस्व ग्राम-जुगलपुरा, तहसील-आमेर के खसरा नम्बर 534) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन-13
ज.वि.प्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-

- परामर्शी (जनसम्पर्क), जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13
ज.वि.प्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101892

दिनांक: 22/06/2022

लोक सूचना

श्री मन्नी देवी पत्नी श्री शंकर लाल सैनी जाति माली निवासी 54, जीवनदीप कॉलोनी, रोड नं. 14, सीकर रोड, जयपुर।

1. इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य प्रयोजना के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	नींदड, आमेर (जयपुर)	मन्नी देवी	1077 / 13	1500.00	0.15
कुल					0.15

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22.06.2022 को जारी की गयी।



प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2022-23/101723

दिनांक: 22/06/2022

लोक सूचना

श्री चेतन चौधरी पुत्र श्री बाबूलाल जाट जाति जाट निवासी बडी का खेडा, बेगसा रोड, बगरू-303007

ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का वाणिज्य (पेट्रोल पम्प) प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्)
1.	बडी का खेडा, सांगानेर (जयपुर)	चेतन चौधरी	93	800.00	0.0800
कुल					0.08

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारी के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाश के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 22.06.2022 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी जोन-12
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर